न्यायालयः— गिरीश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प.नि. खरगोन मध्यप्रदेश

कमांक 1684/आप./2025 खरगोन, दि. 16/12/2025

:: आदेश ::

मैं गिरीश शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.) इस आदेश द्वारा न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को **माह जनवरी 2026** में आने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाशों में न्यायिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिए अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन करेंगे।

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	रिमांड ड्यूटी दिनांक
1	श्री रोहित कुमार जेएमएफसी खरगोन	25, 26
2	श्रीमती सविता वर्मा जेएमएफसी खरगोन	1, 3, 4
3	श्री राज पांडे जेएमएफसी खरगोन	11, 17, 18
4	निर्भयसिंह गर्वा जेएमएफसी भीकनगांव	17, 18, 25, 26
5	श्री राजेन्द्र बर्मन जेएमएफसी भीकनगांव	1, 3, 4, 11
6	श्री मोहित बडके जेएमएफसी मण्डलेश्वर	17, 18, 25, 26
7	सुश्री शिवांगनी भट्ट जेएफएफसी मण्डलेश्वर	1, 3, 4, 11
8	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा जेएमएफसी महेश्वर	1, 3, 4, 11
9	सुश्री याश्मी अग्रवाल जेएमएफसी महेश्वर	17, 18, 25, 26
10	श्रीमती मीता पंवार जन्देल जेएमएफसी कसरावद	18, 25, 26
11	सुश्री इतीशा सांघवी जेएमएफसी कसरावद	1, 3, 4, 11, 17
12	सुश्री वंदना मालवीय जेएमएफसी, बडवाह	25, 26 (उक्त दिनांक की न्यायालय सनावद की रिमाण्ड ड्यूटी भी संपादित करेंगे।)
13	श्री योगेश चालीसा जेएमएफसी, सनावद	1, 3, 4, 11, 17, 18 (उक्त दिनांक की न्यायालय बडवाह की भी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।)

नोट:–

1– जहॉ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।

2– यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो आगामी तिथी पर रिमांड करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजकर अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।

3– माह में यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो खरगोन मुख्यालय पर –श्री राज पाण्डे, जेएमएफसी खरगोन, मण्डलेश्वर मुख्यालय पर –श्री मोहित बडके जेएमएफसी मण्डलेश्वर, कसरावद मुख्यालय पर –सुश्री इतीशा सांघवी जेएमएफसी कसरावद, बड़वाह मुख्यालय पर– सुश्री वंदना मालवीय जेएमएफसी बड़वाह एवं सनावद मुख्यालय पर श्री योगेश चालीसा, जेएमएफसी सनावद तथा भीकनगांव मुख्यालय पर – श्री राजेन्द्र बर्मन, जे.एम.एफ.सी. रिमांड का कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में आने वाले अधिकारी संपन्न करेंगे।

4– तहसील सनावद एवं बडवाह में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. के अवकाश पर रहने की दशा में–

ए– सनावद तहसील के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की समस्त रिमाण्ड, सुसंगत दिनांक को बडवाह में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. संपादित करेंगे तथा

बी– बडवाह तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड, सुसंगत दिनांक को सनावद में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. संपादित करेंगे एवं

सी– सनावद तथा बडवाह, दोनों स्थानों के जे.एम.एफ.सी. के एक–साथ अवकाश पर होने की दशा में, तहसील सनावद एवं बडवाह के समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड, सुसंगत दिनांक को मण्डलेश्वर में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. संपादित करेंगे।

5– यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निधारित तिथियों में कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित होती है तो रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारू रूप से प्रोटोकॉल ड्यूटी निष्पादन में भी आवश्यक सहयोग किया जावेगा।

6.12.

गिरीश कुमार शर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)